उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक डी/1316 जबलपुर, दिनॉक 27 मार्च, 2021
तीन–8–6/23 (XIV)

(प्रतिलिपिः– अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक फा.क.–353/2021/21–ब(एक), दिनॉक 05.02.2021 के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 412/प्र.स./पविनि/2021 दिनांक 20.01.2021 की छायाप्रति)

1– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के सचिव की ओर

2– प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को अवगत कराने हेतु अग्रेषित।

3– समस्त प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

4– समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश..

5– समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय..

6– समस्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

7– संचालक/उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

8– ओ.एस.डी.(लेखा)/डिप्टी कंट्रोलर एकाऊंटस्, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर

6– असिस्टेंट रजिस्ट्रार (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर

7– सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (यात्रा भत्ता) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

8– आई.टी. सेक्शन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड करने बावत्।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

26/3/2021

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 353/2021/21-ब(एक), भोपाल, दिनांक 05 -02-2021

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर,

विषयः- **शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल में ठहरने की व्यवस्था बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग के पत्र क्रमांक/412/प्र.स./पविनि/2021, दिनांक 20-01-2021 में अनुरोध किया गया है कि शासन के आदेशों की प्रति आपके अधीनस्थों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन आदेशों से अवगत होकर निगम के होटलों में ठहरने का लाभ ले सकें। अत: प्राप्त पत्र की प्रति समुचित कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

(प्रमुख सचिव महोदय, विधि द्वारा अनुमोदित)

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(Digitally Signed)
(एस. पी. शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
08 FEB 2021
Reg No. 286
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

Digitally Signed By
Shri S. P. Shukla
04 February 2021 01:04 PM

E-File

शिव शेखर शुक्ला, आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग

कक्ष क्र. एफ-036, भू-तल
वल्लभ भवन III, मंत्रालय
भोपाल - 462004 (म.प्र.)
फोन : +91-755-2708517
ई-मेल : pstourism@mp.gov.in

क्र. 412 /प्र.स./पविनि/2021 भोपाल, दिनांक 20/01/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यपदेश।

विषय- शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल/ मोटल में ठहरने की व्यवस्था बावत।

पासंगिक विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा पूर्व में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.आर.17-05/96/ब-9/चार दिनांक 02/07/1996 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि **जिन स्थानों पर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल्स अवस्थित है, उन स्थानों पर शासकीय अधिकारीयों/ कर्मचारियों को प्रवास के दौरान केवल निगम होटल्स में ठहरने की पात्रता होगी। निगम के होटल्स में कक्ष उपलब्ध न होने की दशा में निजी होटल्स में ठहरने की पात्रता इस शर्त के साथ होगी कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के यात्रा देयकों के साथ निगम का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

अवगत हों कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में होटलों का संचालन शासन द्वारा जारी कोविड-19 की सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए किया जा रहा है तथा पर्यटन विकास निगम उतम स्तर की आवास व्यवस्था/ भोजन एवं उच्च कोटि की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कृतसंकल्पित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन के आदेशों की प्रति आपके अधीनस्थों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अधिक से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी इन आदेशों से अवगत होकर निगम के होटलों में ठहरने का लाभ ले सकें।

353/21 25/1/2021

आशा है इस संबंध में आपका पूर्ण सहयोग निगम को प्राप्त होगा।

प्रमुख सचिव

CR 2308

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ.आर. 17-05/96/ब-9/चार, भोपाल दिनांक 13.10.99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के दौरे के समय म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की होटल/मोटल में ठहरने की व्यवस्था बाबत।

राज्य शासन द्वारा जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. एफ.आर. 17-05/96/ब-6/चार, दिनांक 2.7.1996 की कंडिका (iii) में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को निजी होटलों में ठहरने की दी गई सुविधा को संशोधित करते हुए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जाती है:-

(i) प्रथम श्रेणी अधिकारियों को मध्यप्रदेश के भीतर जिन स्थानों पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स संचालित हैं, उन स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर निजी होटलों में ठहरने की पात्रता इस शर्त के साथ होगी कि किराये की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स की सीमा तक की जावेगी।

(ii) जिन स्थानों पर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल्स अवस्थित हैं, उन स्थानों पर अधिकारियों को केवल निगम के होटल्स में ठहरने की पात्रता होगी। निगम के होटल्स में कक्ष उपलब्ध न होने की दशा में निजी होटल्स में ठहरने की पात्रता इस शर्त के साथ होगी कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के यात्रा देयकों के साथ निगम का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. साथ उपरोक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 2.7.96 का पैरा-4 विलोपित किया जाता है। ये आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(अवध बिहारी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

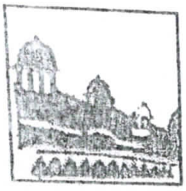
GWALIOR
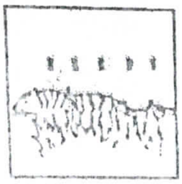
BANDHAVGARH

MANDU
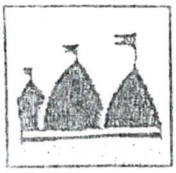
UJJAIN
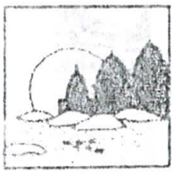
ORCHHA
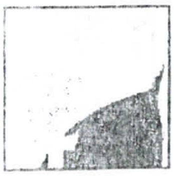
SANCHI
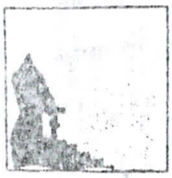
KHAJURAHO

MARBLE ROCKS

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
गंगोत्री भवन, टी.टी. नगर, भोपाल

क्रमांक/पी.ए./प्रसं/पविनि/99 भोपाल, दिनांक 23/10/1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय - शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के दौरे के समय म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल में ठहरने की व्यवस्था बाबत्।

सन्दर्भ - म.प्र. शासन, वित्त विभाग का आदेश क्र.एफ.आर.-17-05/96/ब-9/चार, दिनांक 13.10.99.

राज्य शासन द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवास पर आवास व्यवस्था की पात्रता के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.आर. 17-05/96/ब-9/चार, दिनांक 2.7.96 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के संदर्भ में उपरोक्त संदर्भित आदेशों (प्रति संलग्न है) द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है।

संशोधित आदेशों के अंतर्गत जिन स्थानों पर पर्यटन निगम द्वारा होटल संचालित नहीं किए जा रहे हैं उन स्थानों पर निगम के होटलों के किराए के अनुसार निजी होटलों में रुकने की पात्रता रहेगी। **जिन स्थानों पर निगम संचालित होटल हैं उन स्थानों पर अधिकारियों को केवल निगम के होटलों में ठहरने की पात्रता होगी। निजी होटलों में ठहरने की पात्रता केवल इस आधार पर मान्य की जावेगी कि निगम के होटलों में आवास उपलब्ध नहीं है।** संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को इस आशय के प्रमाण पत्र संबंधित होटल से प्राप्त कर यात्रा देयकों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(A) आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त आदेशों की प्रति आपके अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे जिससे अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन आदेशों से अवगत होकर निगम के होटलों में ठहरने का लाभ ले सकें।

पर्यटन विकास निगम समस्त होटलों में उत्तम स्तर की आवास व्यवस्था/भोजन तथा उच्च कोटि की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रतिबद्ध है।

आशा है इस संबंध में आपका पूर्ण सहयोग निगम को प्राप्त होगा।

(हस्ताक्षर)
प्रबंध संचालक 23.10.99